न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– अरविन्द कुमार जाखड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 60/2021

GCMS CASE NO-2021/60

मोहम्मद युनुस पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान साकिन वार्ड. न0 32 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान। –अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधी भू–धारक तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़
2. एमना बानो पत्नी नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी वार्ड न. 32 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़
3. खुर्शिद बानों पुत्री नूर मोहम्मद पत्नी मोहम्मद सतार जाति मुसलमान निवासी सीकर जिला सीकर
4. अनवर पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवास वार्ड न. 32 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़
5. सिकंदर पुत्र नूर मोहम्मद (मृतक)
   (5/1) मेमुना बानो पत्नी स्व. सिकंदर जाति मुसलमान निवासी वार्ड न. 32 सूरतगढ़
   (5/2) साहिना बानो पुत्री सिकंदर पुत्र नूर मोहम्मद अवकाम मुसलमान साकिन वार्ड न. 32 सूरतगढ़
   (5/3) निलोफर पुत्र सिकंदर पुत्र नूर मोहम्मद अवकाम मुसलमान साकिन वार्ड न. 32 सूरतगढ़
   (5/4) समीरा पुत्र सिकंदर पुत्र नूर मोहम्मद अवकाम मुसलमान साकिन वार्ड न. 32 सूरतगढ़
   (5/5) आदील पुत्र सिकंदर पुत्र नूर मोहम्मद अवकाम मुसलमान साकिन वार्ड न. 32 सूरतगढ़
   (5/6) अमीरा पुत्री सिकंदर पुत्र नूर मोहम्मद अवकाम मुसलमान साकिन वार्ड न. 32 सूरतगढ़
   (5/7) सबीना पुत्री सिकंदर पुत्र नूर मोहम्मद अवकाम मुसलमान साकिन वार्ड न. 32 सूरतगढ़
6. जरिना बानों पुत्री नूर मोहम्मद अवकाम मुसलमान साकिन वार्ड न. 32 सूरतगढ़
7. मोहम्मद अयुब पुत्र नूर मोहम्मद अवकाम मुसलमान साकिन वार्ड न. 32 सूरतगढ़
8. तैयब हुसैन पुत्र नूर मोहम्मद अवकाम मुसलमान साकिन वार्ड न. 32 सूरतगढ़
9. मेहरून बानों पुत्री नूर मोहम्मद पत्नी मोहम्मद सकील निवासी 5 बती चौक जयपुर जिला जयपुर
10. मोहम्मद इदरीस पुत्र नूर मोहम्मद (मृतक)
   (10/1) नजमा बानो पत्नी इदरीस पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी वार्ड न. 32 सूरतगढ़
   (10/2) मोहम्मद इरफान पुत्र इदरीस पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी वार्ड न. 32 सूरतगढ़

–रेस्पोडेंटगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:–

1. श्री लेखराज देरासरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. पैरोकार राज, रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से

:: निर्णय ::

दिनांक:–27.06.2023

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ के निर्णय दिनांक 08.09.2006 जिसके द्वारा अपीलांट का रोही सूरतगढ़ के खसरा न. 272/3 की 6.325 है0 टी.सी. आवंटित रकबा पैराफेरी क्षेत्र में आना मानकर खारिज कर दिया, के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण में अपीलांट ने अपील पेश कर निवेदन [illegible] अपीलांट के पिता नूर मोहम्मद पुत्र अमरूदीन के नाम उपनिवेशन [illegible] 272/3 में 6.325 है0 यानि 25.00 बीघा रकबा उपनिवेशन तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा [illegible] 2042 में राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.08.04 10:26:31 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला–श्रीगंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

कृषि पट्टा) शर्ते 1955 के तहत अस्थाई काश्त हेतु आवंटित किया गया था। उक्त रकबा का समय–समय पर अपीलांट के पिता नूर मोहम्मद के नाम पर नवीनीकरण होता रहा। उक्त रकबा पर अपीलांट के पिता के जीवन काल में उनके स्वयं का तथा उनकी मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान यथा अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 10 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने शर्तो का उल्लघंन मान कर जैर अपील आदेश पारित करते हुए अपीलांट के पिता का टीसी आवंटन खारिज कर दिया। परन्तु अपीलांट द्वारा किस शर्त का उल्लंघन किया गया है, यह अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अंकित नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलधीन आदेश नोन स्पीकींग आदेश की श्रेणी में आता है। आवंटी नूर मोहम्मद का आवंटन हर प्रकार से कायम रहने योग्य है। राज्य सरकार द्वारा ऐसी भूमि में संभागीय आयुक्त की सहमति से भूमि की कीमत का कुछ भाग जमा करवाकर खातेदारी दिये जाने का प्रावधान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने नियमों की अनदेखी कर जैर अपील आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों के विपरीत होने से निरस्त किया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड मंगवाकर शामिल पत्रावली किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री लेखराज देरासरी उपस्थित हुए। रेस्पोडेंट संख्या 01 पैरोकार राज हाजिर आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि जैर अपील आदेश अपीलांट के पिता स्व. नूर मोहम्मद पुत्र अमरूदीन के विरूद्व पारित किया गया है जिनका अपीलांट विधिक वारिस है। अपीलांट ने अपने विधिक अधिकारों के संरक्षण हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय के विरूद्व यह अपील पेश की है। जैर अपील रकबा पर अपीलांट के हित निहित है तथा अपीलांट इस प्रकरण में हितबद्व पक्षकार है। अतः अपीलांट को अपील अनुमति प्रदान की जावे।

5. रेस्पोडेंट संख्या 01 पैरोकार राज द्वारा ना तो उक्त प्रार्थना पत्र का कोई जवाब पेश किया तथा ना ही दौराने बहस कोई मौखिक आपत्ति दर्ज करवाई गई। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र का प्रति शपथ पत्र भी पैरोकार राज द्वारा पेश नहीं किया गया।

6. हस्तगत पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रकरण में जैर अपील रकबा नूर मोहम्मद को राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्ते 1955 के तहत टीसी आवंटन हुआ था। मूल आवंटी नूर मोहम्मद की मृत्य दिनांक 16.12.1993 को होने के उपरांत अपीलांट्स व रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 10 उसके विधिक वारिसान है। राज्य सरकार ने दिनांक 26.09.2001 को एक परिपत्र जारी किया था जिसमें भी यह उल्लेखित है कि राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्ते 1955 में शर्त 4 (एफ) में काश्तकार (टीनेन्ट) की परिभाषा में उसके उत्तराधिकारियों को भी सम्मिलित किया गया है । राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्ते 1955 में शर्त 4 (एफ) अनुसार– **"Tenant" means any person holding land in a colony and includes his predecessors and successors in- intrest and transferees** अर्थात उक्त नियम में टीनेन्ट को परिभाषित करने से तात्पर्य टीसी धारक से माना जायेगा। उपरोक्त शर्तो के अन्य प्रावधानों में भी टीनेन्ट शब्द का उपयोग किया है ना कि अस्थाई काश्तकार शब्द का प्रयोग किया है। अस्थाई काश्तकार की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके वारिसान को आवंटन किया जा सकता है।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में अपीलांट मूल आवंटी के उत्तराधिकारी है, जो आलौच्य आदेश से सीधे प्रभावित है एवं प्रकरण में प्रभावित पक्षकार है जिससे अपीलांट अपील पेश करने के कानूनी अधिकार है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपील अनुमति प्रदान की जाती है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ जिला–श्री गंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.08.04 10:26:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

7. तत्पश्चात प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना पत्र तथा जवाब बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट के पिता स्व. नूर मोहम्मद पुत्र अमरूदीन के विरूद्व पारित किया गया है। अपीलांट को जैर अपील निर्णय का कतई इल्म नहीं था। अपीलांट अपने पिता के रकबा की खातेदारी हेतु प्रार्थना पत्र देने के पटवारी हल्का से मिला तब उसे जैर अपील आदेश की जानकारी हुई। जानकारी की दिनांक से बिना किसी देरी के अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश प्राथमिकतः शून्य है एवं क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2011 (2) पेज 1350, डीएनजे 2014 पेज 272, 689, डीएनजे राज. 2014 (3) पेज 1136, डीएनजे 2013 (4) एससी पेज 826 की ओर ध्यान दिलाकर निवेदन है कि क्षेत्राधिकार विहीन निर्णयो की कोई मियाद नहीं होती। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

8. रेस्पोडेंट संख्या 01 पैरोकार राज ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का खण्ड़न करते हुए लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने यह अपील लगभग 8 वर्ष पश्चात पेश की है जो पूर्णतया मियाद बाहर है। अपीलांट को जैर अपील आदेश की कार्यवाही का पूर्णतया ज्ञान था। जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुना गया था। अपील पेश करने में हुई देरी का जो कारण अपीलांट द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित किया है, वह सन्तोष जनक नहीं है। न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2015 (2) पेज 1090, आर.आर.टी. 2015 (1) पेज 232, आर.आर.टी. 2002 पेज 33, आर.आर.टी. 2010 पेज 801 पेश कर निवेदन है कि देरी माफी योग्य नही है। अतः अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद खारिज किया जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जावे।

9. हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। जैर अपील रकबा अपीलांट के पिता नूर मोहम्मद को टीसी आवंटन हुआ था। मूल आवंटी नूर मोहम्मद की मृत्यु दिनांक 16.12.1993 के उपरांत अपीलांट नूर मोहम्मद का विधिक वारिस है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलांट को ना तो विधिवत रूप से तामील नहीं हुई है, तथा ना ही अपीलांट को विधिवत रूप से सुना गया है। अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में देरी का जो कारण बताया है वह भी संतोष जनक है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। इसलिए हम हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर करने की बजाय गुणावगुण पर किया जाना युक्ति युक्त एवं न्यायोचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

10. तत्पश्चात गुणावगुण पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि जैर अपील रकबा अपीलांट के पिता को दिनांक 26.08.1970 (संवत 2027) को राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा शर्ते 1955 के तहत अस्थाई काश्त हेतु आवंटित किया गया था परन्तु सहवन से अपील मीमों में सवंत 2042 अंकित हो गया है। अपीलांट के पिता का उक्त टीसी. आवंटन समय-समय पर नवीनीकरण होता रहा व रकम कायम होती रही है तथा अपीलांट के पिता ने समय समय पर राशि जमा करवा दी थी। उक्त रकबा पर आवंटन की दिनांक से लेकर आवंटी नूरमोहम्मद के जीवन काल में स्वयं नूर मोहम्मद का तथा उनकी मृत्यु उपरांत उनके विधिक वारिसान यथा अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 10 का कब्जा काश्त बदस्तूर चला आ रहा है तथा उन्होंने [illegible] काश्त बनाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन आदेश में अप[illegible] क[illegible]सी. आवंटित रकबा नगरपालिका की सीमा के 2 किलोमीटर की [illegible] में मानकर [illegible] कर दिया। जबकि अपीलांट का उक्त रकबा नगर पालिका की सीमा [illegible] है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.08.04 10:26:31 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
मुख्यालय : श्री गंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्व हो सके कि अपीलांट का रकबा नगर पालिका सीमा के 2 किमी की परिधि में है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अपीलांट द्वारा शर्तो का उल्लघंन करना बताया है। परन्तु अपीलांट द्वारा किन शर्तो का उल्लंघन किया है, यह अंकित नही किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश स्पीकिंग ऑर्डर की श्रेणी में नहीं आता है। माननीय राजस्व मण्ड़ल राजस्थान अजमेर ने अपने प्रकरण निगरानी/एलआर/कोलो/3478/2006/गंगानगर अनवान धन्ने सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2017 में यह अंकित किया है कि न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे. 2003 पेज 162 व ए.आई.आर एससी 2005 पेज 1074 के मतानुसार रीजण्ड व स्पीकींग निर्णय आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के जिन परिपत्रों का हवाला जैर अपील निर्णय में दिया है वे इस प्रकरण में लागू नही होते है। उक्त परिपत्र वेस्ट लैण्ड भूमियों के संबंध में थे जबकि अपीलांट की भूमि कृषि योग्य भूमि है। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्ते 1955 के अंतर्गत टी.सी. लीज को निरस्त करने की शक्तियां तहसीलदार को न होकर शर्त संख्या 19 के अनुसार उक्त शक्तियां जिला कलक्टर को दी गयी है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने भी कई अवसरों पर अपने निर्णयों में यह प्रतिपादित किया है कि तहसीलदार टी.सी. आवंटन खारिज करने में सक्षम नहीं है। उक्त कथनों के समर्थन में वकील अपीलांट ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान के प्रकरण निगरानी/एलआर/3995/2014/ श्रीगंगानगर अनवान फुसाराम बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 25.04.2017, निगरानी/एलआर/कोलो/3478/2006/श्रीगंगानगर अनवान धन्ने सिंह (मृतक) जरिये शरबत कंवर आदि बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2017, निगरानी/एलआर/6410/2006/श्रीगंगानगर अनवान मोती सिंह बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 17.01.2018, निगरानी संख्या 2279/2011/श्रीगंगानगर में पारित निर्णय दिनांक 17.01.2018 तथा माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण संख्या एस.बी. सिविल रिट पेटीशन संख्या 9497/2018 अनवान पाबूदान बनाम बोर्ड ऑफ रेवन्यू आदि में पारित निर्णय दिनांक 25.05.2022 की प्रतियां पेश की। वकील अपीलांट ने निवेदन किया कि राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त, 1955 के तहत वे स्थितियां दी गई जिनके तहत काश्तकारी का समापन किया जा सकता है। इन्हीं नियमों के तहत नियम (V) के आगे अंकित किया गया है कि "तो कलेक्टर पट्टे को कभी समाप्त कर सकेगा और इसके पश्चात ऐसी भूमि पर पुनः प्रवेश कर सकेगा"। इस प्रकार स्पष्ट है कि अस्थाई काश्त खारिज करने की शक्तियां कलक्टर में निहित है ना कि तहसीलदार में। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय पारित किया है। उक्त रकबा अपीलांट को टीसी आवंटन हुआ था। अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश दिनांक 08.09.2006 को पारित किया है जबकि अपीलांट के पिता की मृत्यु दिनांक 16.12.1993 को ही हो गई थी। जिससे ये साबित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक व्यक्ति के विरूद्व निर्णय पारित किया है जो साईक्लोस्टाईल होने से शुरू से ही शून्य है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 08.09.2006 खारिज फरमाया जावे।

11. रेस्पोडेंट संख्या 01 पैरोकार राज ने दौराने बहस लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि टीसी आवंटन केवल एक साल के लिए ही आवंटन होता है, एक साल पश्चात समयावधि समाप्त होते ही टीसी आवंटन स्वतः ही समाप्त हो जाता है। न्यायिक दृष्टांत–RRD 1992 State of rajasthan vs Gulab chand Page No- 431 अनुसार–A Lease of Temporary cultivation automatically terminates at the end of the lease period-an heir to a deceased allottee can-not claim [illegible] thereof as a matter of right-he should apply for a fresh allotment for himself or [illegible] न्यायिक दृष्टांत–RRT 2018 (1) Page No 364 Ramlal vs State of rajasthan decided on 19th may 2017 के अनुसार A Lease for temporary cultivation come to an end automatically on expiry of the

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.08.04 10:26:31 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला-श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

term of lease. न्यायिक दृष्टांत RRD 1995 Page No- 431 के अनुसार टीसी अवधि के समाप्ति के पश्चात स्वतः ही टीसी आवंटन निरस्त हो जाता है। अपीलांट टीसी आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया। इसलिए न्यायिक दृष्टांत आर.आर.जे 1999 पेज 214 पेश कर निवेदन है कि अपीलांट को इस रकबा में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होंगें। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया है जिससे जैर अपील रकबा पर उसका कब्जा साबित हो। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त, 1955 के नियम 23 अनुसार **"If there is any colonisation officer appointed under that title for the area in which the land is situated, the powers or functions conferred on the collector by these or any special conditions, shall be exercised by such officer, unless Goverment otherwise directs.** तथा आवंटन नियम 1955 के नियम 4 (ड़) अनुसार **" Colonisation Tehsildar" means the Revenue Officer- in charge of the Colonisation Tehsil in which the land is situated and includes an officer to whom the powers and functions of a Colonisation Tehsildar have been delegated.** उक्त नियमों के तहत जिला कलक्टर की शक्तियां तहसीलदार को दी गई हैं। तहसीलदार जिला कलक्टर की हैसियत से टीसी खारिज करने हेतु सक्षम है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार व अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ही अपीलांट की टीसी खारिज की है जो नियमानुसार सही है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट निरस्त फरमायी जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर चिंतन मनन किया एवं हस्तगत पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। जिससे पाया कि अपीलांट के पिता नूर मोहम्द को जैर प्रकरण भूमि यथा रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 272/3 की 25.00 बीघा भूमि दिनांक 26.08.1970 (संवत 2027) को राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त 1955 के तहत अस्थाई काश्त (टीसी) पर आवंटन की हुई थी। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलांट का टीसी आवंटन संवत 2043 तक नवीनीकरण हुआ है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने जैर अपील निर्णय में अपीलांट का टीसी आवंटन सवंत् 2061 तक नवीनीकरण होना अंकित किया है। रेस्पोडेंट संख्या 01 पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया कि टी.सी. आवंटन एक वर्ष हेतु किया जाता है। अपीलांट को यह रकबा कभी भी पुख्ता आवंटन नही हुआ है। राज्य सरकार ने अनेकों बार टीसी पुख्ता आवंटन हेतु टीसी आवंटियों को अवसर दिये थे परन्तु अपीलांट ने पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया । इस संबंध में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2019 (1) पेज 373 सरजीत सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में यह उल्लेखित है कि–

पैरा संख्या (iv)– संवत 2030 के पश्चात भूमि का नवीनीकरण नहीं हुआ है किन्तु जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के परिपत्र दिनांक 20.06.1991 में यह स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि जो भूमि आरजी काश्त पर आवंटित है उसे यथावत उन्हीं व्यक्तियों के नाम नवीनीकृत किया जावे। इस परिपत्र में पूर्व के परिपत्र दिनांक 09.04.1988 का हवाला है, जिसमें भी आरजी काश्त पर आंवटित भूमि को यथावत उन्ही आवंटियों के नाम नवीनीकृत करने के निर्देश है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलांट के पिता नूर मोहम्मद को जैर अपील भूमि दिनांक 26.08.1970 (संवत 2027) को टीसी पर आवंटित हुई। उक्त टीसी का नवीनीकरण सवंत 2043 तक हुआ है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलधीन निर्णय में उक्त टीसी का संवत 2061 तक नवीनीकरण होना अंकित किया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2019 (1) पेज 373 सरजीत सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के पैरा संख्या (v) अनुसार–जिला कलेक्टर के परिपत्र दिनांक 23.07.1994 में यह निर्देश दिये गये है कि पूर्व में आरजी काश्त पर आवंटित भूमि के नवीनीकरण पर कोई पाबंदी नहीं है, किन्तु नये सिरे से रकबा राज आरजी काश्त पर आवंटित नहीं किया जावे। इस प्रकार पूर्व में आरजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.08.04 10:26:31 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
मुख्यालय जिला-श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

काश्त पर आवंटित भूमि का नवीनीकरण किया जा सकता है, चाहे नये नवीनीकरण पर पाबंदी लगी हो।

(ब) राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 15.04.1991 से भी इंगित होता है कि एक बार किसी को आरजी काश्त पर भूमि आवंटित हो जाने पर किसी कारण वंश नवीनीकरण नहीं होता है, तो उसे बेदखल नहीं किया जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 01 का कथन है कि मूल आवंटी के फौत होने के उपरांत उसके वारिसान के नाम से टीसी नवीनीकरण नहीं किया है। इस संबंध में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2019 (1) पेज 372 सरजीत सिंह आदि बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान निर्णय दिनांक 16.11.2018 में यह उल्लेखित है कि–**Land given on temporary cultivation lease to father of the petitioners- After their death petitioners appliled for permanent lease cultivation-Application rejected and upheld in appeal-Lease can be renewed in favour of heirs of the deceased lease holder** अर्थात अगर अस्थाई पट्टा धारक की मृत्यु हो जाती है तब आरजी काश्त का नवीनीकरण उसके वारिसान को किया जा सकता है। इस संबंध में राज्य सरकार ने दिनांक 26.09.2001 को एक परिपत्र जारी किया था जिसमें भी यह उल्लेखित है कि राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्ते 1955 में शर्त 4 (एफ) में काश्तकार (टीनेन्ट) की परिभाषा में उसके उत्तराधिकारियों को भी सम्मिलित किया गया है। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्ते 1955 में शर्त 4 (एफ) अनुसार–**"Tenant" means any person holding land in a colony and includes his predecessors and successors in- intrest and transferees** अर्थात उक्त नियम में टीनेन्ट को परिभाषित करने से तात्पर्य टीसी धारक से माना जायेगा। उपरोक्त शर्तो के अन्य प्रावधानों में भी टीनेन्ट शब्द का उपयोग किया है ना कि अस्थाई काश्तकार शब्द का प्रयोग किया है। अस्थाई काश्तकार की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके वारिसान को आवंटन किया जा सकता है।

रेस्पोडेंट संख्या 01 पैरोकार राज का कथन है कि जैर अपील रकबा पर अपीलांट का कब्जा काश्त नहीं है। इस संबंध में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी संवत 2026–2029 तथा 2042–2045 में उक्त रकबा मूल आवंटी नूर मोहम्मद के नाम के नाम से दर्ज है। प्रकरण में तहसीलदार सूरतगढ़ से रकबा के संबंध में रिपोर्ट ली गई जो तहसीलदार सूरतगढ़ के पत्रांक 1819 दिनांक 19.06.2023 द्वारा प्राप्त हुई। रिपोर्ट पटवारी कस्बा सूरतगढ़ दिनांक 17.06.2023 अनुसार "मुताबिक रिकार्ड खसरा न. 272/3 में 142.123 है0 भूमि दर्ज है मुताबिक रिकार्ड 13.030 है0 रकबा मण्डी ऐरिया को स्थांतरित किया गया था , जो अब वर्तमान में नगरपालिका सूरतगढ़ के नाम दर्ज हो गया है। वर्तमान में खसरा न. 272/3 में 89.960 है0 आराजीराज, 22.264 है0 गै.मु.आबादी, 15.180 है0 खातेदारों के नाम, 1.012 है0 शमशान घाट, 0.184 है0 गै.मु. रास्ता दर्ज है। आराजीराज भूमि का खसरा जमाबंदी में 272 है जबकि मूल खसरा 272/3 ही है। खसरे में 6.325 है0 भूमि पर टीसी आवंटी नूर मोहम्मद के वारिसान मौके पर काबिज है। रिपोर्ट पटवारी अनुसार भी साबित है कि जैर अपील भूमि पर बतौर वारिसान अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 10 का ही कब्जा काश्त है। अपीलांट के पिता नूर मोहम्मद को जैर अपील रकबा राजस्थान उपनिवेशन (अस्थायी काश्तपट्टा) 1955 की शर्तो के अन्तर्गत टीसी आवंटन हुआ था, जो संवत 2043 तक नवीनीकरण हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ ने जैर अपील निर्णय में अपीलांट द्वारा शर्तो का उल्घन करना मानकर अपीलांट का टीसी आवंटन खारिज किया है। परन्तु आवंटी द्वारा किन–किन शर्तो का व किस तरह से कब उल्लंघन किया है, यह अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित नहीं किया है। राजस्व मण्ड़ल राजस्थान अजमेर ने भी अपने प्रकरण [illegible]/2006/गंगानगर अनवान धन्ने सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में पारित निर्णय [illegible]11.2017 में यह अंकित किया है कि न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे. 2003 [illegible] 162 [illegible] 2003 [illegible] 1074 के मतानुसार रीजण्ड व स्पीकींग निर्णय आवश्यक है। [illegible] ने अपीलांट के पिता का टीसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.08.04 10:26:31 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला-श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

आवंटित रकबा वेस्टलैण्ड हेतु बने नियमों के अन्तर्गत खारिज किया है जबकि अपीलांट के पिता नूर मोहम्मद को उक्त रकबा राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त, 1955 के तहत आवंटन हुआ था। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2021 (1) पेज 680 में यह उल्लेखित है कि राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर दिनांक 15.12.2005 एवं 08.02.2006 में यह स्पष्ट कर दिया है, कि यह परिपत्र किन–किन नियमों के तहत आवंटित भूमियों पर लागू होगा तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत वैस्टलैण्ड हेतु निम्नांकित नियम बनाये गये है–

(अ) राजस्थान भू–राजस्व (निजी जंगलात विकसित करने हेतु अकृषि योग्य बंजर भूमि का आवंटन) नियम 1986

(ब) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि आधारित निर्यातोन्मुख उपज के प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1996

(स) राजस्थान भू–राजस्व (डेयरी कुकट और सूअर पालन हेतु आवंटन) नियम 1999

परन्तु अपीलांट के पिता को जैर अपील रकबा उक्त तीनों नियमों के तहत आवंटन नहीं हुआ है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का रकबा वेस्टलैण्ड़ नियमों के तहत खारिज कर दिया जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार, सूरतगढ़ द्वारा प्रिण्टैड फार्म पर रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलांट के पिता का टीसी आवंटन खारिज करने की कार्यवाही की है, जो साईक्लोस्टाईल होने से समर्थन योग्य नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश दिनांक 08.09.2006 पारित करने से पूर्व ही मूल आवंटी नूर मोहम्मद का स्वर्गवास दिनांक 16.12.1993 को हो गया था। जिससे ये जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतकव्यक्ति के विरूद्व निर्णय पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2008 (2) पेज 1216 अनवान देवीलाल चर्तुवेदी बनाम फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने निर्णय पारित करते हुए यह माना है कि मृतक व्यक्ति के विरूद्व पारित निर्णय शुरू से ही शून्य है। उपनिवेशन विभाग राजस्थान सरकार के पत्र कमांक एफ (4) 24/उप./99 जयपुर दिनांक 26.09.2001 द्वारा अस्थाई काश्तकार की मृत्यु हो जाने पर उसके वारिसान को आवंटन करने हेतु अनुमति दी है परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि जैर अपील भूमि मूल आवंटी को टीसी आवंटन हुई थी, जो शहरी क्षेत्र के पैरोफेरी क्षेत्र में आने के कारण नवीनीकरण/खातेदारी नहीं दिये जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई । पैराफेरी क्षेत्र में स्थित भूमि का टीसी नवीनीकरण/खातेदारी अधिकार जारी किये जा सकते है। इस संबंध में पूर्व आवंटित भूमि पैराफेरी क्षेत्र में आने पर राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग की अधिसूचना कमांक प.9 (15)रेवे.6/2005–पार्ट/43 दिनांक 29.08.2007 द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि का आवंटन) नियम 1970 को और संशोधित करते हुए नियम 18 में संशोधन कर परन्तुक स्थापित किया है कि" यदि ऐसी भूमि आवंटन के समय अधिनियम की धारा 90–ख में यथा वर्णित नगरीय क्षेत्र की नगर योग्य सीमा के भीतर या परिधीय क्षेत्र के भीतर नहीं थी और तत्पश्चात जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास, नगर निगम या नगर परिषद के नगरीय क्षेत्र की नगर योग्य सीमा या परिधीय क्षेत्र में शामिल कर ली गयी हो तो खातेदारी अधिकार केवल राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से और जिला स्तरीय समिति द्वारा उस क्षेत्र के लिए यथा अवधारित भूमि के बाजार मूल्य का 20 प्रतिशत सदाय करने पर प्रदत्त किये जायेंगें और भूमि के नगर बोर्ड की नगर योग्य सीमा या परिधीय क्षेत्र में तत्पश्चात सम्मिलित होने की दशा में, खातेदारी अधिकार, खण्ड् आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से और जिला स्तरीय समिति द्वारा उस क्षेत्र के लिए अवधारित भूमि के बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत का संदाय करने पर प्रदत्त किये जायेंगें।" आरआरटी 2021 (1) मूलचन्द बनाम स्टेट पेज 683 में भी यह उल्लेखित है कि–राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 धारा 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की अधिसूचना (दिनांक 9.10.2007, राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 18.10.2007 ... एफ. 6(513) राज/बी/55 दिनांक 10.5.56, एफ.6(513) राज/बी/55 दिनांक 13.9.5... राज/ई/58दिनांक 21.1.1959 से विवादित भूमि को उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर कर डीक... क्षेत्र घोषित कर दिया, इससे स्पष्ट है कि राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 18.10.2007 के बाद विवादित भूमि पर राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.08.04 10:26:31 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के प्रावधान लागू होते है और भू–राजस्व अधिनियम के तहत खातेदार व गैर–खातेदार श्रेणी के ही काश्तकार होते है, मूल आवंटी/अपीलाण्ट जो उपनिवेशन क्षैत्र में टी0सी0 आवंटी थे, वह अब भू–राजस्व अधिनियम के तहत गैर–खातेदार श्रेणी के कृषक हो गये है और नियम 18 के तहत खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी हैं। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 18.10.2007 से विवादित भूमि को उपनिवेशन क्षैत्र से बाहर करने के पश्चात् राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या.एफ.9 (77) रेवे–6/2008/15 दिनांक 31.05.2008 अनुसार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 18 में यह परन्तुक जोड दिया गया है कि " व्यक्ति, जिसको भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में अस्थायी खेती पट्टा धारक या स्थायी आवंटिती के रूप में आवंटित की गयी थी और ऐसा क्षैत्र बाद में उपनिवेशन क्षैत्र से अपवर्जित कर दिया गया था का 1–1–2001 से पूर्व उक्त भूमि पर निरन्तर कब्जा है, तो ऐसा व्यक्ति राजस्थान कृषि धृति पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के अधीन लागू अधिकतम सीमा तक इन नियमों के अधीन खातेदारी अधिकारी प्राप्त करने का हकदार होगा।" हस्तगत प्रकरण में भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अनुसार मूल आवंटी नूर मोहम्मद का टीसी आवंटन संवत 2043 (सन 1986–87) तक नवीनीकरण है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया कि आवंटी द्वारा भू–राजस्व/मालकाना जमा करवाया जाता रहा है। रिपोर्ट पटवारी दिनांक 12.01.1987 अनुसार रकम संवत 2042 तक बेबाक है। रिपोर्ट पटवारी कस्बा सूरतगढ़ दिनांक 17.06.2023 अनुसार मौके पर मूल आवंटी नूर मोहम्द के वारिसान का कब्जा है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट्स विवादित भूमि की खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। जिसके नियम 18(1) के तहत आवंटन के उपरान्त तहसीलदार को तीन वर्ष की अवधि में स्वप्रेरणा से खातेदारी अधिकार प्रदान करना आज्ञापक है। अपीलांट उक्त नियम 18(1) के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी है। इसके अतिरिक्त यह भूमि यदि पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर नगरीय सीमा या नगरपालिका के पैराफैरी क्षेत्र में आती है तो भी अपीलांट को खातेदारी अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।

वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के पैराफेरी क्षेत्र में आने वाली भूमि के भी खातेदारी अधिकार जारी करने के आदेश प्रदान कर दिये गये है तथा राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के नोटिफिकेशन दिनांक 13.05.2015 द्वारा जिला कलक्टर को इस बाबत अधिकृत कर दिया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार (भू0अ0) सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 08.09.2006 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय प्रति सहित वापिस लौटाया जावे। पत्रावली बाद तकमील तरतीब नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.08.04 10:26:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner